न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :– 05/2025
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/06

अपीलार्थी :–
दरियाव पुत्री स्व0 कनाराम, उम्र 40 वर्ष जाति कुम्हार, निवासी ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. श्रीमती पतासी देवी पत्नी कनाराम
2. दमाराम पुत्र कनाराम
   जातियान कुम्हार, निवासीगण ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. दिनेश निकुब पुत्र तुलसीराम, उम्र 51 वर्ष
4. भरत पुत्र तुलसीराम, उम्र 41 वर्ष
   जातियान घांची, निवासीगण भिश्तियों का बास, उदय मन्दिर आसन के सामने, जोधपुर, राजस्थान।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्युटेशन संख्या 516 दिनांक 31.08.1998 ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् पटवार हल्का खाराबेरा पुरोहितान् तहसील लूणी, जिला जोधपुर जिसमें अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृति नायब तहसीलदार लूणी द्वारा की गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री मोतीसिंह व करण सिंह (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह राजपुरोहित व श्री सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित (प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2)।
2. अधिवक्ता श्री पी0 आर0 प्रजापत व श्री ओंकार सिंह (प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4)।

–: आदेश :– दिनांक :– 17.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार लूणी द्वारा ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् के नामान्तरकरण संख्या 516 में पारित आदेश दिनांक 31.08.1998 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10.06.2022 को दरियाव द्वारा पेश की है। अपील के साथ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 19:00:18 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र भी पेश किया गया है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत अस्थाई स्थगन आदेश जारी करने के प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.06.2022 को स्वीकार कर अपीलाधीन खसरा नम्बरान् की आराजी बाबत् रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति बनाए रखने के अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश पारित किए गए।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से श्री हनुमानसिंह राजपुरोहित वगैरा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 को सी0 पी0 सी0 के आदेश 01 नियम 10 के तहत आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया, जिनकी ओर से श्री पी0 आर0 प्रजापत वगैरा अधिवक्ताओं ने वकालतनामा पेश किया।

4. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि :—

(a) ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी के खेत खसरा संख्या 381/1 रकबा 3—10 बीघा, खसरा नम्बर 454 रकबा 14—16 बीघा, खसरा नम्बर 452 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 487 रकबा 4—19 बीघा, खसरा नम्बर 416 रकबा 2—04 बीघा, खसरा नम्बर 414 रकबा 2—10 बीघा कुल खसरान् 06 कुल रकबा 31—18 बीघा भूमि अपीलान्ट के पिता कनाराम के नाम दर्ज थी। सन् 1998 में कनाराम का देहान्त होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 516 से प्रत्यर्थी संख्या 01 पतासी (पत्नी) व प्रत्यर्थी संख्या 02 दमाराम (पुत्र) के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया तथा अपीलान्ट का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया।

(b) अपीलान्ट का यह भी कथन है कि वर्ष 2004 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 द्वारा खसरा संख्या 454 में से 3—06 बीघा तथा खसरा नम्बर 487 में से 4—19 बीघा भूमि बालूसिह, गजेन्द्रसिंह, गणपतसिंह, बलवन्तसिंह पिता राजूसिंह एवं बालूराम पिता चौथाराम को बेचान किया गया एवं उक्त किये गए बेचान से अपीलान्ट का जो उत्तराधिकार का हक है, उसे न तो कम किया जा सकता है तथा न [illegible] किया जा सकता है। अपीलान्ट ने उस समय भी [illegible], तब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपीलान्ट को आश्वस्त किया [illegible] सम्पूर्ण भूमि का बेचान नहीं किया जा रहा है एवं अपीलान्ट के हिस्से [illegible]/3 आराजी अपीलान्ट के दर्ज करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 19:00:18 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दी जायेगी परन्तु समय गुजरने के साथ अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं कराया तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर और बेचान करना चाहते है अतः यह अपील पटवारी से दिनांक 28.05.2022 को नकल प्राप्त कर पेश की जा रही है।

(c) अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलान्ट प्रथम श्रेणी की वारिस होने से, धारा-6 हिन्दु अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किया गया म्यूटेशन प्रारम्भ से ही शून्य है तथा शून्य आधारों पर दर्ज किए इन्द्राजों को म्याद के तकनीकी बिन्दुओं में नहीं बाधकर व्यापक दुष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 516 दिनांक 31.08.98 निरस्त किया जाकर कनाराम के सभी वारिसान् के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेशित् किया जावे। अपील पेश करने में हुई देरी जानबूझकर नहीं की है तथा मेलाफाइड नहीं है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण आधार पर किया जावे।

5. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस 03.02.2025 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 17.02.2025 को रखी गई।

(a) अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि कनारामजी के वारिस पत्नी पतासी, बेटा दमाराम व अपीलान्ट दरियाव है परन्तु विरासत के अपीलाधीन नामान्तरकरण में सिर्फ प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का नाम ही दर्ज किया है जबकि अपीलान्ट जायन्दा पुत्री होते हुए भी उसका नाम छोड़ दिया है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत् अपीलान्ट प्रथम श्रेणी की वारिसान् है परन्तु नायब तहसीलदार ने वारिसान् की सही जांच किए बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने में विधिक भूल कारित की है तथा गलत नामान्तरकरण की आड़ में प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 ने कुछ जमीन बेचान कर दी, जिससे अपीलान्ट के हितों पर विपरीत असर पड़ा है अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार लूणी को पुनः सुनने व सही विधिक वारिसान् के नाम पुनः नामान्तरकरण दर्ज करे।

(b) रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने बहस करते हुए कथन किया कि अगर यह अपील स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 19:00:18 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की जायन्दा पुत्री है तथा वे अपीलान्ट के तर्कों व कथनों से सहमत है।

(c) प्रत्यर्थी संख्या 03 व 04 के विद्वान अधिवक्ता श्री ओंकार सिंह ने बहस करते हुए कथन किया कि जब हमने प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 से जरिए रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज भूमि क्रय की थी उस समय वे खातेदार थे। बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण करवाने के वे हकदार है। अगर हमारे द्वारा खरीदसुदा भूमि के हिस्से का नामान्तरकरण के दौरान ध्यान रखा जाता है, तो उन्हें अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(d) प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता की बहस का प्रत्युत्तर बहस में प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता का कहना है कि बेचाननामा जरिए पॉवर ऑफ एटोर्नी हुआ है। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 अनपढ़ है। उनकी जानकारी बिना पावर ऑफ एटोर्नी से बेचान हुआ है।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, बहस के दौरान उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर गंभीरता से अध्ययन कर उन पर मनन किया। विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया।

(a) अपीलान्ट ने यह अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.1998 के विरूद्ध दिनांक 10.06.2022 को 24 वर्ष की देरी से इस न्यायालय में पेश की है तथा देरी को कन्डोन करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत् सशपथ प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में लिखा है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व उसे किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के विरूद्ध किया गया म्यूटेशन प्रारम्भ से ही शून्य है तथा शून्य आदेशों के विरूद्ध प्राप्त उपचारों को तकनीकी एवं म्याद बिन्दुओं में नहीं बांधकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। समय गुजरने के पश्चात् भी अपीलान्ट के नाम भूमि दर्ज नहीं करवाने पर अपील पेश की है। विलम्ब जानबूझकर व मेलाफाइड नहीं है। हम अपीलान्ट के कथनों एवं तर्कों से सहमत नहीं है।

(i) अपीलान्ट ने अपील [illegible] में यह कथन किया है कि वर्ष 2004 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 [illegible] खसरा नम्बर 454 में से 3–06 बीघा तथा खसरा नम्बर 487 में से 4–19 [illegible] भूमि रेस्पोडेन्ट बालूसिंह, गजेन्द्रसिंह, गणपतसिंह, [illegible] राजूसिंह एवं बालूराम पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 19:00:18 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

चौथाराम को बेचान किया था, उस समय भी अपीलान्ट ने बेचान बाबत् एतराज किया था तथा अपीलान्ट को आश्वस्त किया गया कि सम्पूर्ण भूमि का बेचान नहीं किया जा रहा है एवं अपीलान्ट के हिस्से की 1/3 हिस्सा अपीलान्ट का नाम दर्ज करवा दी जायेगी। पैरा 4 व 5 में अपीलान्ट ने कथन किया कि उक्त आश्वासन पर भूमि अपीलान्ट ने नाम दर्ज नहीं करवाने तथा और बेचान करने की तैयारी से उसने दिनांक 28.05.2022 को पटवारी से नामान्तरकरण की नकल लेकर यह अपील पेश की जा रही है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सन् 2004 में ही अपीलान्ट को यह जानकारी हो गई थी कि विवादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं है तथा अपीलान्ट ने उक्त जानकारी होते हुए भी करीब 18 साल बाद यह अपील पेश की है।

(ii) अपीलान्ट ने अपील के साथ ग्राम खाराबेरा पुरोहितान की सम्वत् 2052–2055 की खाता संख्या 24 की नकल जमाबन्दी पेश की है, जिसमें नामान्तरकरण संख्या 516 के जरिए प्रत्यर्थीगण दमाराम व पतासी का नाम दर्ज हुआ है तथा इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2060–2063 के खाता संख्या 123 पर दमाराम व पतासी के द्वारा बेचान करने पर नामान्तरकरण संख्या 603 बेचान दिनांक 05.01.2004 से बालूसिंह, गजेन्द्रसिंह, गणपतसिंह, बलवन्तसिंह पिसरान् राजूसिंह के नाम खसरा नम्बर 454 मि. 1 रकबा 3–06 बीघा दर्ज हुआ है तथा नामान्तरकरण संख्या 606 बेचान 20.2.2004 बालूराम पिता चौथाराम के नाम खसरा नम्बर 487 मि. 2 रकबा 4–19 बीघा दर्ज हुआ है। उक्त हस्तान्तरणों की जानकारी होते हुए भी अपीलान्ट ने न तो नामान्तरकरण संख्या 516 की अपील की तथा न ही नामान्तरकरण संख्या 603 व 606 की अपील की तथा न ही अन्तरितिगण बालूसिंह, गजेन्द्रसिंह, गणपतसिंह, बलवन्तसिंह व बालूराम को इस अपील में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया है जबकि उक्त हस्तान्तरणों का उल्लेख अपील मीमों के पैरा तीन में किया गया है।

अपीलान्ट के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलान्ट ने उक्त हस्तान्तरणों की जानकारी सन् 2004 में ही होने के बावजूद जानबूझकर इन 8–05 बीघा के हस्तान्तरणों को नजरअंदाज किया है। उक्त 8–05 बीघा के हस्तान्तरण के बाद शेष [illegible] बीघा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 के खाता संख्या 127 में प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं 02 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 19:00:18 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दर्ज रहीं। फिर भी अपीलान्ट ने स्वर्गीय कनाराम की सम्पूर्ण भूमि 31–18 बीघा में अपना 1/3 हिस्सा होने का कथन कर नामान्तरकरण संख्या 516 को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

(iii) इसके अतिरिक्त सम्वत् 2072–2075 की जमाबन्दी के खाता संख्या 152 के अनुसार खसरा नम्बर 381/1, 414/3, 416, 452/3, 154/7 कुल 23–13 बीघा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज है, जिसमें से नामान्तरकरण संख्या 954 दिनांक 27.10.2015 से खसरा नम्बर 416 रकबा 2–04 बीघा भूमि जरिए आवाप्ति रीको लिमिटेड जोधपुर के नाम दर्ज हुई है, परन्तु इस अपील में रीको लिमिटेड जोधपुर को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है।

जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 172 पर सिर्फ खसरा नम्बर 452/3 व 454/7 की भूमि ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है।

(iv) उक्त के अतिरिक्त प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 12.03.2014 को खसरा नम्बर 454/7 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 04 बीघा भूमि को हस्तान्तरण करने का आम मुखत्यारनामा श्री चम्पालाल पुत्र तुलसीराम घांची को दिया। इस आममुखत्यारनामा के जरिए दिनांक 26.4.2019 को 2 बीघा भूमि प्रत्यर्थी संख्या संख्या 03 दिनेश को जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा हस्तान्तरित की है तथा प्रत्यर्थी संख्या 04 भरत को 02 बीघा भूमि जरिए बेचान दस्तावेज हस्तान्तरित की है, परन्तु इन्हें भी अपील में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया तथा इन्हें आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना–पत्र देकर पक्षकार बनना पड़ा।

(v) उक्त सभी हस्तान्तरण सन् 2004 के बाद हुए है तथा क्रेताओं ने सद्भावना से राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों पर विश्वास करते हुए अभिलिखित खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से खसरा विशेष (specific land) की भूमि क्रय की है। उक्त तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अगर म्याद के बिन्दु को व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता [illegible] पील का गुणावगुण पर निपटारा किया जाता है [illegible] 2004 के [illegible]करण संख्या 603 व 606 के क्रेताओं के साथ [illegible] खसरा विशेष 454 व 487 में से 8–05 बीघा भूमि प्रत्यर्थी स[illegible] 01 व 02 से जरिए रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 13:00:18 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

वेचान क्रय की है तथा अपीलान्ट ने इन क्रेताओं को इस अपील में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है। इन्हें सुने बिना अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है।

(vi) इसी प्रकार खसरा नम्बर 410 की 2–04 बीघा भूमि रीको के नाम दर्ज हो गई है, परन्तु रीको को पक्षकार नहीं बनाया है। हालांकि यह Compulsory आपत्ति है।

(vii) इसी प्रकार खसरा नम्बर 454/7 की 4 बीघा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 03 व 04 ने प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 से क्रय की है। अगर नामान्तरकरण संख्या 516 को अपास्त किया जाता है तो प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 द्वारा किये गये हस्तान्तरण भी अमान्य हो जायेंगे, क्योंकि संयुक्त आराजी में से बिना विधिवत विभाजन कराए भू–भाग विशेष का हस्तान्तरण कुछ सहखातेदारों द्वारा नहीं किया जा सकता तथा यह न्यायालय बंटवारा करने में सक्षम नहीं है।

(viii) दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने पर सहमत है तथा प्रत्यर्थी संख्या 03 व 04 अपने हक की भूमि की सुरक्षा करने की शर्त पर रिमाण्ड करने के लिए सहमत है परन्तु यह न्यायालय ऐसा करने में असक्षम है, क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त एवं फिस्कल कार्यवाही मात्र है, जिसके जरिए पक्षकारों के हकों, हिस्सों, स्वत्वों व अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक सभी पक्षकारों के हिस्सों/हितों का निर्धारण नहीं हो जाता तथा उसके पश्चात् विधि अनुसार कनाराम की सम्पूर्ण आराजी का विधिवत् बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक सन् 2004 व 2019 में किये गये भूमि विशेष के हस्तान्तरणों को नामान्तरकरण की कार्यवाही में विधिमान्य करने की अधिकारिता इस न्यायालय तथा नामान्तरकरण निस्तारण करने वाले किसी भी राजस्व अधिकारी में निहित नहीं है। अधिकारिता के अभाव में प्रत्यर्थी संख्या 03 व 04 की मांग का अनुतोष देने में यह न्यायालय असमर्थ है तथा आपसी सहमति से भी इस प्रकार की अधिकारिता निर्धारित नहीं की जा सकती। नामान्तरकरण तो पूरा ही निरस्त होता है, आंशिक निरस्त नहीं हो सकता है।

(b) उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील म्याद बाहर पेश की गई है तथा प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देरी को क्षम्य करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 19:00:18 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने H.Guruswamy & ors vs A. Krishnaiah, civil Appeal No. 317/2025 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2025 में यह प्रतिपादित किया है कि –

> Delay cannot be condoned based on merit of main matter, if there is no sufficient explaination. Court must not start with merit of the case, but first ascertain the bonafides of the explanation offered by the party seeking condonation. own inaction for a long, it cannot be presumed to be non-deliberate delay. It is must to prevent dilatory tactics. Liberal approach, Justice oriented approach and Substantial justice should not be employed to frustrate or jettison the Substantial law of Limitation. It shows Complete absence of judicial constraint.
>
> Issue of Limitation is not merely a technical consideration but is based on sound Public policy and equity. 'Sword of Democies' cannot be kept - hanging over the head of a litigant for an indefinite period of time."

(c) उक्त न्यायिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट को जब वर्ष 2004 में ही अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 516 की जानकारी हो गई थी, तो वह 18 वर्ष तक किस बात का इन्तजार कर रही थी। इसके अतिरिक्त 2004 के हस्तान्तरण से खरीददारों को तो अपील में पक्षकार ही नहीं बनाया है।

(d) अपीलान्ट अपने अधिकारों, हितों, स्वत्वों इत्यादि का निर्धारण सक्षम न्यायालय से नियमित वाद के जरिए निर्धारण कराने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकरण की क्लिष्ट प्रकृति को देखते हुए यह न्यायालय मेरिट पर भी नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में अपीलान्ट व प्रत्यर्थीगण के हितों का निर्धारण में सक्षम नहीं है।

7. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील म्याद बाहर, सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है। फलस्वरूप यह अपील अस्वीकार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 19:00:18 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील संख्या 05/2025
एमएस नम्बर 2025/6

8. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2022 को पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश Vacate किया जाता है तथा अन्य समस्त प्रार्थना–पत्रों का भी निस्तारण किया जाता है।
9. निर्णय की प्रति तहसीलदार लूणी को भेजी जावे तथा तहसीलदार लूणी से प्राप्त मूल अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावें।

पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 17.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.03.25 19:00:18 IST
Reason: SelfAttested